



समर्थ (SAMARTH) पहल

प्रलिस के ललल:

समर्थ पहल, अंतरराष्ट्रीय महिला दलस, MSME, NSIC, संयुक्त राष्ट्र, मूल अधलकार, मौलकल करतव्य, महिलाओं से संबंघतल वशलव सममेलन ।

मेन्स के ललल:

लगल, वकलस से संबंघतल मुददे, महिलाओं से संबंघतल मुददे, सरकारी नीतलतलँ और हसुतकषेप, सामाजकल सशकुतरलण ।

चरुुा में क्युँ?

अंतरराष्ट्रीय महिला दलस 2022 के अवसर पर केंद्रीय सूकषम, लघु और मध्यम उदयम (MSME) मंतुरी ने महिलाओं के ललल एक वशलष उदयमतल पुरुतसलहन अभलतलन - "समर्थ" (SAMARTH) की शुरुआत की ।

'समर्थ' पहल के बारे में:

- मंतुरालय की समर्थ पहल के अंतरगत इकुकु और मौजूदा महिला उदयमतलँ को नमलनलखलतल ललभ उपलबध हूँगे:
 - मंतुरालय की कौशल वकलस युकनलओं के अंतरगत आयुकतल नशललुक कौशल वकलस कर्यकरुुों में 20 पुरतशलत सीटें महिलाओं के ललल आवंटतल की कलएंगी ।
 - मंतुरालय दवलरल कर्यलनवतल वपलणन सहायतल के ललल युकनलओं के अंतरगत घरेलू और अंतरराष्ट्रीय पुरदरशनतलँ में भेजे कलने वलले MSME वयलपलर पुरतनलधलमलंडल कल 20 पुरतशलत हसलसल महिलाओं के स्वलमतलव वलले MSME को समरुपतल हूँगा ।
 - राष्ट्रीय लघु उदयुक नगलम (National Small Industries Corporation-NSIC) की वलणकलतलव युकनलओं के वलरुषकल पुरसंसकरण शुलुक पर 20 पुरतशलत की कूट ।
 - NSIC, सूकषम, लघु और मध्यम उदयम मंतुरालय के तहत भारत सरकलर कल एक उदयम है ।
 - उदयम पंकीकरण (Udyam Registration) के अंतरगत महिलाओं के स्वलमतलव वलले MSMEs के पंकीकरण के ललल वशलष अभलतलन ।
- इस पहल के मलधयम से MSME मंतुरालय महिलाओं को कौशल वकलस और बलकलर वकलस सहायतल पुरदलन करने पर धयलन केंदरतल कर रहल है ।
 - गुरलमीण और उप-शहरी कषेतुरुँ की 7500 से अधकल महिला उममीदवलरुँ को वतलत वरुष 2022-23 में पुरशकषतल कतल कलएंगल ।
 - इसके अलवल हकलरुँ महिलाओं को घरेलू और अंतरराष्ट्रीय पुरदरशनतलँ में अपने उत्पादुँ को पुरदरशलतल करने व उनके वपलणन के अवसर मललेंगे ।
- सलथ ही सलरुवकनकल खरीद में महिला उदयमतलँ की भलगीदलरी बदलने के ललल वरुष 2022-23 के दुरलन NSIC की नमलनलखलतल वलणकलतलव युकनलओं पर वलरुषकल पुरसंसकरण शुलुक पर 20 पुरतशलत की वशलष कूट की पेशकश की कलएंगी:
 - एकल बदुल पंकीकरण युकनल
 - ककूचे मलल की सहायतल और बलल में कूट
 - नवलदल वपलणन
 - B2B पुरुटल एमएसएमईमलरुट.कूँम

अंतरराष्ट्रीय महिला दलस:

■ पुरकलतल:

- यह पुरतवलरुष 8 मलरुु को मनलल कलतल है । इसमें शलमलल हूँ:

- महिलाओं की उपलब्धियों का उत्सव मनाना,
- महिलाओं की समानता के बारे में जागरूकता बढ़ाना,
- त्वरति लैंगिक समानता का समर्थन करना,
- महिला-केंद्रित दान आदि के लिये धन एकत्रित करना ।

■ संक्षिप्त इतिहास:

- महिला दिवस **पहली बार वर्ष 1911** में क्लारा जेटकनि द्वारा मनाया गया था, जो कजिर्मन महिला थीं । इस उत्सव की जड़ें मज़दूर आंदोलन में नहिती थीं ।
- वर्ष 1913 में इस दिवस को 8 मार्च को मनाने का निर्णय लिया गया था और तब से यह इसी दिने मनाया जाता है ।
- अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पहली बार वर्ष 1975 में **संयुक्त राष्ट्र** द्वारा मनाया गया ।

- दिसंबर 1977 में महासभा ने एक संकल्प को अपनाया जिसमें **महिला अधिकारों और अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिये संयुक्त राष्ट्र दिवस** की घोषणा की गई तथा जिसे सदस्य देशों द्वारा अपनी ऐतिहासिक व राष्ट्रीय परंपराओं के अनुसार वर्ष के किसी भी दिने मनाया जाएगा ।

■ वर्ष 2022 की थीम:

- “एक स्थायी कल के लिये आज लैंगिक समानता” (Gender equality today for a sustainable tomorrow) ।

■ संबंधित डेटा:

- संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, कानूनी प्रतर्बिधों ने **2.7 बलियिन महिलाओं को पुरुषों के समान नौकरियों तक पहुँच से वंचित रखा है** ।
 - वर्ष 2019 तक संसद में **महिलाओं की भागीदारी 25% से कम** थी ।
 - **प्रत्येक तीन में से एक महिला लिंग आधारित हिंसा का अनुभव करती है** ।
- **अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO)** के अनुमान के अनुसार, वर्ष 2019 में **कोविड महामारी** से पहले, भारत में **महिला श्रम बल की भागीदारी 20.5%** थी, जबकि तुलनात्मक रूप से महिलाओं के लिये यह अनुमान 76% था ।
- **वशिव आर्थिक मंच (WEF) के वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक/ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स** (जो लैंगिक समानता की दशा में प्रगति को मापता है) के अंतर्गत भारत दक्षिण एशिया में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले देशों में से एक है, वर्ष **2021 में यह 156 देशों में 140वें स्थान पर** रहा ।
- **राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS)-5** के अनुसार, वर्ष 2015-16 के 53% की तुलना में वर्ष **2019-21 में 15-49 आयु वर्ग की 57% महिलाएँ रक्ताल्पता से पीड़ित** थीं ।

भारत में महिलाओं के लिये सुरक्षात्मक उपाय:

■ संवैधानिक सुरक्षा उपाय:

- **मूल अधिकार:** यह सभी भारतीयों को समानता का अधिकार (**अनुच्छेद 14**), लिंग के आधार पर राज्य द्वारा किसी प्रकार का विभेद नहीं [**अनुच्छेद 15(1)**] किये जाने और महिलाओं के पक्ष में राज्य द्वारा किये जाने वाले विशेष प्रावधानों की गारंटी देता है [**अनुच्छेद 15(3)**] ।
- **मौलिक कर्तव्य:** संविधान **अनुच्छेद 51 (A)(e)** के माध्यम से महिलाओं की गरिमा के लिये अपमानजनक प्रथाओं को त्यागने हेतु प्रत्येक नागरिक हेतु **मौलिक कर्तव्य** का प्रावधान करता है ।

■ वधिक उपाय:

- **घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005:** यह घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं को अभियोजन के माध्यम से व्यावहारिक उपचार के साधन प्रदान करता है ।
- **दहेज नषिध अधिनियम, 1961:** यह दहेज के अनुरोध, भुगतान या स्वीकृति को प्रतर्बिधित करता है ।
- **कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, नषिध और नविवरण) अधिनियम, 2013:** यह वधियायी अधिनियम कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न से बचाने का प्रयास करता है ।

- **संबंधित योजनाएँ:** महिला ई-हाट, महिला प्रौद्योगिकी पार्क, ‘**जेंडर एडवांसमेंट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशंस**’ (Gender Advancement for Transforming Institutions- **GATI**) इत्यादि ।

महिलाओं से संबंधित वैश्विक सम्मेलन:

- संयुक्त राष्ट्र ने **महिलाओं पर 4 वशिव सम्मेलन** आयोजित किये हैं:

- मेक्सिको सिटी, **1975**
- कोपेनहेगन, **1980**
- नैरोबी, **1985**
- बीजिंग, **1995**

- बीजिंग में आयोजित **महिलाओं पर चौथा वशिव सम्मेलन (WCW)**, संयुक्त राष्ट्र की अब तक की सबसे बड़ी सभाओं में से एक था और लैंगिक समानता एवं महिलाओं के सशक्तीकरण पर वशिव का ध्यान आकर्षित करने के संदर्भ में यह एक महत्त्वपूर्ण मोड़ था ।

- बीजगि घोषणापत्र महिला सशक्तीकरण का एक एजेंडा है और इसे लैंगिक समानता पर प्रमुख वैश्विक नीति दिस्तावेज़ माना जाता है।
- यह महिलाओं की उन्नति, स्वास्थ्य तथा सत्ता में स्थापति एवं नर्णय लेने वाली महिलाओं, बालिकाओं व पर्यावरण जैसी चिंताओं के 12 महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में लैंगिक समानता की उपलब्धि के लिये रणनीतिक उद्देश्यों और कार्यों को नर्धारित करता है।
- हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) ने विकासशील देशों में गरीब महिलाओं के लिये एक 'अस्थायी मूल आय' (TBI) का प्रस्ताव किया है, ताकि उन्हें कोरोना महामारी के प्रभावों से नपिटने में मदद मिलि सके और प्रतदिनि उनके सामने आने वाले आर्थिक दबाव को कम किया जा सके।

वगित वर्षों के प्रश्न

प्रश्न: 'बीजगि डकिलेरेशन एंड प्लेटफॉर्म एक्शन', जो अक्सर खबरों में देखा जाता है, है-

- शंघाई सहयोग संगठन की बैठक के परणामस्वरूप क्षेत्रीय आतंकवाद से नपिटने की रणनीति।
- एशिया-प्रशांत क्षेत्र में स्थायी आर्थिक विकास के लिये कार्रवाई की योजना, एशिया-प्रशांत आर्थिक मंच के वचिर-वमिर्श का एक परणाम है।
- महिला सशक्तीकरण के लिये एक एजेंडा, संयुक्त राष्ट्र द्वारा बुलाए गए वशि्व सम्मेलन का एक परणाम है। (d) वन्यजीव तस्करी का मुकाबला करने की रणनीति, पूरव एशिया शखिर सम्मेलन की घोषणा।

उत्तर: (c)

स्रोत: पी.आई.बी.

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/samarth-initiative>

